दिनांक -27.02.2023

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर , बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे ।

संदर्भः– 1–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–2217 / 11–सी FP/UP/THERMAL/36097/2018लखनऊदिनांक–30.12.2022
2–आपका पत्र संख्या– 2187 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक– 03.01.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । **प्रश्नगत** प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक–30.12.2022 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की प्रति निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–2217 / 11–सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक–30.12.2022 में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्ताव मे संलग्न नही किया गया है । अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे याचक विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव मे प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष मे भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 **प्रतिशत** वार्षिक लीज रेंट जमा किये जाने हेतु स्पष्ट वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे यथा स्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
3	प्रस्ताव मे संलग्न लीज अवधि प्रमाण–पत्र मे लीज अवधि 30 वर्ष जबकि ऑनलाइन पार्ट–1 मे लीज अवधि 99 वर्ष अंकित है , जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः सही लीज अवधि प्रमाण–पत्र मे अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे **संशोधित** लीज अवधि प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे यथा स्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
4	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु लागत लाभ मे एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दर के अनुसार ली गयी है , जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः नई संषेधित दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे **संशोधित** लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

Upadhyay

संतोष कुमार उपाध्याय
Santosh Kumar Upadhyay
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Dy. General Manager (HR)
एनटीपीसी लिमिटेड-रिहंद (उ.प्र.) 231223
NTPC Limited Rihand (U.P.) 231223

<table>
<tr>
<td>5</td>
<td>प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे0 अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु संलग्न प्राक्कलन मे तथा मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र मे सी0ए0 की धनराशि पूर्व मे कराये गये वृक्षारोपण के क्षेत्रफल एवं वर्तमान मे प्रस्तावित वृक्षारोपण के क्षेत्रफल मे भिन्नता है अतः सही स्थिति स्पष्ट कर सही प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख व सूचना प्रस्ताव मे संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में संशोधित प्रस्ताव में प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि के दुगूने अवनत वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 अवनत वन भूमि पर विभाग द्वारा वनीकरण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे0मे)</th><th>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0मे)</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>280.508 हे0</td><td>188.241</td><td>एन0टी0पी0सी0 द्वारा वन विभाग को वापस किये गये धारा–20 का क्षेत्रफल</td></tr>
<tr><td>2</td><td>–</td><td>643.759</td><td>नया चयनित अवनत वन भूमि</td></tr>
<tr><td></td><td>280.508</td><td>832.00</td><td></td></tr>
</table>
क्षेत्रफल मे कोई भिन्नता नही हे ।</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>प्रस्ताव मे 188.241 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 639 हे0 शुद्ध क्षेत्रफल का Geo Referenced Digital Map, संलग्न किया गया है , जबकि सी0ए0 के गोस्वारा मे 643.759 हे0 मे वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः प्रस्ताव मे 188.241 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित कुल स्थलो का सही क्षेत्रफल Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन मे क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित कुल स्थलो का सही Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 मे वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे0 क्षेत्रफल की के0एम0एल0 फाइल एवं उससे सम्बन्धित विवरण Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट अपलोड नही है ।</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन मे वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे0 क्षेत्रफल की के0एम0एल0 फाइल एवं उससे सम्बन्धित विवरण Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(I) मे अपलोड की गयी सी0ए0 की के0एम0एल0 फाइल का सकल क्षेत्रफल अपलोड किया गया है ,जो कि शुद्ध वृक्षारोपण क्षेत्रफल से अधिक हो रहा है । अतः सी0ए0 की के0एम0एल0 फाइल का शुद्ध क्षेत्रफल अपलोड करे ।</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन मे संशोधित एवं शुद्ध क्षेत्रफल ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।</td>
</tr>
</table>

संतोष कुमार उपाध्याय
Santosh Kumar Upadhyay
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Dy. General Manager (HR)
एनटीपीसी लिमिटेड-रिहंद (उ.प्र.) 231223
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223

9	प्रस्ताव मे प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता मे 29 करोड़ रू0 पूर्व मे जमा किये जाने का उल्लेख किया गया है , जबकि एन0पी0वी0 की गणना मे पूर्व मे **धनराशि** रू0 258067360/– एन0पी0वी0 **के रूप मे जमा किए जाने का उल्लेख किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है । अतः** पूर्व **मे जमा की गयी एनपीवी** की सही **धनराशि**, वचनबद्धता एवं एन0पी0वी0 की गणना मे उल्लेख कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे **संशोधित** शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
10	प्रस्ताव मे मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रस्ताव मे प्रभावित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर महोदय को दिनांक–25.02.2023 को करा दिया गया है ।
11	ऑनलाइन भाग–2 मे अपलोड सी0ए0 की **धनराशि** प्रस्ताव मे अंकित सी0ए0 की **धनराशि** एवं मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र मे अंकित सी0ए0 की **धनराशि** से भिन्न है । अतः ऑनलाइन भाग–2 मे सही **धनराशि** अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे **संशोधित** अभिलेख प्रस्ताव मे यथास्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
12	प्रस्ताव मे प्रस्तावित वन भूमि के राजस्व मैप/कैडिस्ट्रल मैप मे प्रस्तावित स्थलो के गाटो को चिन्हित नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे राजस्व मैप /कैडिस्ट्रल मैप मे प्रस्तावित स्थलो को चिन्हित करा दिया गया है ।
13	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 393 पर संलग्न सी0ए0 **गोस्वारा** मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 280 हे0 मे पूर्व मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र मे 561 हे0 मे सी0ए0 की **धनराशि** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है, जो कि विरोधाभाष है । अतः सही **गोस्वारा** संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि **प्रश्नगत** प्रकरण मे 280.508 हे0 के दुगूने अवनत वन भूमि 280.508 X 2 = 561.00 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु एन0टी0पी0सी0 से कुल रू0 4969500 + 32738115 = 37707615/– जमा कराया गया , जिसमे से 4969500/– की **धनराशि** 280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर वर्ष 1999 मे वनीकरण कार्य पूर्ण किया गया तथा 280.508 हे0 पर वनीकरण कार्य हेतु उक्त 32738115/– रू0 कैम्पा मद मे जमा है जिससे वनीकरण कार्य नही किया गया है ।
14	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 मे मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अपेक्षित कार्यवाही एन0टी0पी0सी के स्तर से वांछित नही हे ।
15	ऑनलाइन भाग–2 एवं प्रस्ताव से पूर्व के त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्रो को पृथक करते हुये **संशोधित** प्रमाण–पत्र यथास्थान पर संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 मे अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रस्ताव मे पूर्व के त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्रो को पृथक करते हुये **संशोधित** प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड करा दिया गया है ।

SUpadhyay

संतोष कुमार उपाध्याय
Santosh Kumar Upadhyay
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Dy. General Manager (HR)
एनटीपीसी लिमिटेड-रिहंद (उ.प्र.) 231223
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223

16	प्रस्ताव की एक प्रति मे पेनड्राइव संलग्न नही है । तथा संलग्न पेनड्राइव मे प्रस्तावित वन भूमि की एवं 188.241 हे0 वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नही है । अतः उपरोक्त इंगित कमियो का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की **संशोधित**एक पी0डी0एफ0 फाइल , जिसमे प्रस्तावित एवं सी0ए0 की पूर्ण के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव मे अपलोड कर तीनो प्रस्ताव मे संलग्न करे ।	प्रस्ताव मे इंगित की गयी कमियो का निराकरण कराते हुए **संशोधित** पेनड्राइव संलग्न करा दिया गया है ।

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से

28.02.23

(संतोष कुमार उपाध्याय)
उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)

संतोष कुमार उपाध्याय
Santosh Kumar Upadhyay
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Dy. General Manager (HR)
एनटीपीसी लिमिटेड-रिहंद (उ.प्र.) 231223
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223